

केवल नागपुर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

मिनीरत्न कंपनी,

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी

विपणन एवं विक्रय विभाग

कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर 440001

CIN: U10100MH1975GOI018626

संदर्भक्र: नाग/वेकोलि/वि.वि./वाणिज्यिक/2026-27/ 728



Under Jurisdiction of Nagpur Court only
Western Coalfields Limited

A Miniratna Company,

A subsidiary of Coal India Limited

Marketing & Sales Department

Coal Estate, Civil Lines, Nagpur- 440001

Phone: 0712-2511061

Website: www.westerncoal.in

दिनांक: 30.10.2026

सूचना/ Notice

विषय/ Sub: Revision of Forest Transit Fee to ₹ 81/- per tonne for coal dispatched from MP Areas of WCL w.e.f. 02.10.2026.

All consumers/buyers drawing coal from the Madhya Pradesh Areas of WCL, viz. Pathakhera, Pench and Kanhan under various schemes are hereby informed that the Government of Madhya Pradesh has revised the Forest Transit Fee to ₹ 81/- per tonne from the existing rate of ₹ 57/- per tonne, vide Order No. एफ-30-08/2002/10-3 dated 02.10.2026 and Gazette Notification dated 02.10.2026.

Accordingly, in compliance with the above order and notification, WCL shall levy the revised Forest Transit Fee of ₹ 81/- per tonne (plus applicable duties and taxes), with effect from 02.10.2026, on all dispatches of coal produced from forest land situated within the State of Madhya Pradesh i.e. from Pathakhera, Pench and Kanhan Areas.

महाप्रबंधक (वि एवं वि), डब्ल्यूसीएल.

प्रति:

1. GM (Fin-II/SA), WCL.
2. GM(System), WCL - for making necessary changes in the ERP.
3. Area General Managers- Pathakhera, Pench and Kanhan, WCL.
4. Area Sales Manager- Pathakhera, Pench and Kanhan, WCL.
5. Area Finance Manager- Pathakhera, Pench and Kanhan, WCL.
6. All Section Heads, M&S Dept., WCL.
7. SME(ERP) for updating the date in ERP.

कार्यालय वन मंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mailID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)238496

क्रमांक/राजस्व/2026/

2063

छिंदवाड़ा दिनांक 9/10/26

प्रति,

(1) महाप्रबंधक

वे.को.फि.लि.

पेंच क्षेत्र, परासिया

(2) महाप्रबंधक

वे.को.फि.लि.

कन्हान क्षेत्र, डुंगरिया

(3) मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल.

प्राइवेट लिमिटेड

सियाल घोघरी, कोलमाइन,

ग्राम मुआरी, पो. गाजनडोह, तह. उमरेठ

विषय :- वनोपज के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क की पुनर्निर्धारित दरों का क्रियान्वयन।

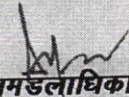
संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/राजस्व/2026/2187 दिनांक 06.10.2026

—❖❖❖—

विषयांतर्गत संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3 दिनांक 02.10.2026 द्वारा वनोपज के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क की पुनर्निर्धारण दरों के क्रियान्वयन से संबंधित आदेश में **खनिज वनोपज का प्रकार के अंतर्गत - "कोयला" हेतु देय शुल्क की दर 81 रुपये प्रति टन** निर्धारित की गई है।

अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि, विषयांतर्गत पुनर्निर्धारित दर से संबंधित अधिसूचना में प्रकाशन की तिथि से उक्त आदेश का नियमानुसार पालन एवं आवश्यक कार्यवाही करते हुए वनोपज के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क की पुनर्निर्धारित दर **81 रुपये प्रति टन** अनुसार शुल्क की राशि **Head of Account 0406-01-800-9748 (Other Receipts-Transit Pass Fee)** में जमा कर आपके द्वारा जमा की गई राशि की जानकारी प्रत्येक माह की 1 तारीख को इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही इस पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल
08/10/26

**मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3

भोपाल, दिनांक: 02-10-2026

//आदेश//

विषय: वनोपज के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क की पुनर्निर्धारित दरों का क्रियान्वयन।

संदर्भ:

1. मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2026 के कार्यसूची क्रमांक 25 पर लिया गया निर्णय।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(1), दिनांक 02-10-2026—मध्यप्रदेश में उत्पादित वनोपज (खनिज वनोपज, लघु वनोपज एवं बाँस को छोड़कर) के अभिवहन शुल्क संबंधी।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(2), दिनांक 02-10-2026—खनिज वनोपज के अभिवहन शुल्क संबंधी।
4. अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(3), दिनांक 02-10-2026—मध्यप्रदेश में आयातित वनोपज के अभिवहन शुल्क संबंधी।

मंत्रि-परिषद् द्वारा अनुमोदन तथा तदनुसार जारी उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अनुक्रम में, राज्य शासन वनोपज के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क की पुनर्निर्धारित दरों के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार आदेशित करता है:-

2/ मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित वनोपज (खनिज वनोपज, लघु वनोपज व बाँस को छोड़कर) तथा राज्य के बाहर से आयातित वनोपज के परिवहन हेतु अभिवहन शुल्क/अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क की दर निम्नानुसार होगी।

वनोपज परिवहन की मात्रा	दर (रुपये में)
एक घनमीटर तक	₹200

एक घनमीटर से अधिक	प्रथम घनमीटर तक ₹200 तथा प्रत्येक अतिरिक्त घनमीटर हेतु ₹100; यदि अतिरिक्त मात्रा एक घनमीटर से कम और 1/2 घनमीटर या उससे अधिक है, तो उसकी गणना एक घनमीटर के रूप में की जाएगी। यदि 1/2 घनमीटर से कम है, तो उसकी गणना शून्य की जाएगी।
-------------------	---

3/ खनिज वनोपज परिवहन हेतु अभिवहन शुल्क की दर निम्नानुसार होगी।

क्र.	खनिज वनोपज का प्रकार	देय शुल्क (रुपये में)
1.	लाइम स्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, मैंगनीज अयस्क, कॉपर अयस्क, रॉक फास्फेट, पायरोफिलाईट, डायास्पोर, ऑकर, बॉक्साइट, आयरन अयस्क, केलसाइट, कोयला, क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड, शेल, स्लेट, सोप स्टोन	₹81 प्रति टन
2.	फ्लेग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल एवं मिट्टी पत्थर	₹52 प्रति घनमीटर

4/ पुनर्निर्धारित दर संबंधित अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगी। वनोपज की श्रेणी, मात्रा, घनमीटर के अपूर्ण अंश की गणना तथा शुल्क का निर्धारण संबंधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

5/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि—

(क) परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की ऑनलाइन प्रणाली में संशोधित दरें उनकी प्रभावशीलता की तिथि के अनुरूप लागू की जाएँ।

(ख) समस्त संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागीय काष्ठागारों एवं अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को अधिसूचनाओं एवं इस आदेश की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँ तथा संशोधित दरों का समुचित प्रचार किया जाए।

(ग) शुल्क की वसूली, शासकीय खाते में जमा तथा लेखांकन की कार्यवाही प्रचलित व्यवस्था के अनुसार की जाए।

(घ) क्रियान्वयन में उत्पन्न किसी अस्पष्टता का प्रकरण स्पष्ट अभिमत सहित शासन को भेजा जाए।

6/ यह आदेश अधिसूचित दरों के प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु जारी किया जा रहा है। दरों, उनके क्षेत्रीय एवं विषयगत अनुप्रयोग तथा प्रभावशीलता के संबंध में संबंधित राजपत्रित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,
Digitally signed by

Ankit Pandey

Date: 02-10-2026

20:49:39

OFFICER ON SPECIAL DUTY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3

भोपाल, दिनांक:02-10-2026

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल—आवश्यक कार्यवाही एवं समस्त संबंधित कार्यालयों को निर्देश प्रसारित करने हेतु।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी—पालनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, वनोपज अभिवहन की ऑनलाइन प्रणाली—आवश्यक संशोधन हेतु।
6. विभागीय अभिलेख।

OFFICER ON SPECIAL DUTY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(1):: मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 30 जुलाई, 2021 को मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित वनोपज (खनिज वनोपज, लघु वनोपज एवं बाँस को छोड़कर) से संबंधित शुल्क दरों की सीमा तक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त वनोपज के राज्य के भीतर अथवा बाहर परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार शुल्क विहित करता है:—

वनोपज की मात्रा	देय शुल्क
एक घनमीटर तक	₹200/-
एक घनमीटर से अधिक	प्रथम घनमीटर तक ₹200 एवं प्रत्येक अतिरिक्त घनमीटर हेतु ₹100; यदि अतिरिक्त मात्रा एक घनमीटर से कम और 1/2 घनमीटर या उससे अधिक है, तो उसकी गणना एक घनमीटर के रूप में की जाएगी। यदि 1/2 घनमीटर से कम है, तो उसकी गणना शून्य की जाएगी।

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक/एफ-30-08/2002/10-3(1):: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(1), दिनांक 02-10-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 2nd October 2026

No. F-30-08/2002/10-3(1):: In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022, and in supersession of this Department's Notification No. F-30-08-2002-X-3, dated 30th July, 2021, to the extent of the rates of fees relating to forest produce produced in the State of Madhya Pradesh (except mineral forest produce, minor forest produce and bamboo), the State Government hereby prescribes the following fees to be recovered for the issue of a Transit Permit/No-objection Certificate for transportation of such forest produce within or outside the State:—

Quantity of forest produce	Fee payable
Up to one cubic metre	₹ 200/-
More than one cubic metre	₹ 200/- for the first cubic metre and ₹ 100/- for each additional cubic metre. If a fractional part of the additional quantity is less than one cubic metre and equal or more than half a cubic metre, it shall be counted as one cubic metre. If it is less than half a cubic metre, it shall be counted as zero.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(2):: मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 05 मार्च, 2020 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-9-दस-3-2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे यथा उल्लिखित खनिज वनोपज के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु वसूली किए जाने के लिए निम्नलिखित शुल्क विहित करता है:—

अ. क्र.	वनोपज का नाम	देय शुल्क
1.	लाइम स्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, मैंगनीज अयस्क, कॉपर अयस्क, रॉक फॉस्फेट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर, ऑकर, बॉक्साइट, आयरन अयस्क, कैल्साइट, कोयला, क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड, शेल, स्लेट एवं सोप स्टोन	रुपये 81/- प्रति टन
2.	फ्लैग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल एवं मिट्टी पत्थर	रुपये 52/- प्रति घनमीटर

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक/एफ-30-08/2002/10-3(2):: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(2), दिनांक 02-10-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 2nd October 2026

No. F-30-08/2002/10-3(2):: In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022, and in supersession of this Department's Notification No. F-5-9-X-3-2001, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), dated 5th March, 2020, the State Government hereby prescribes the following fees to be recovered for the issue of a Transit Permit for transportation of the mineral forest produce mentioned below:—

S. No.	Name of forest produce	Fee payable
1.	Limestone, dolomite, fire clay, manganese ore, copper ore, rock phosphate, pyrophyllite, diaspore, ochre, bauxite, iron ore, calcite, coal, quartz, silica sand, shale, slate and soapstone	Rs. 81/- per tonne
2.	Flagstone, granite, marble and gravel stone	Rs. 52/- per cubic metre

This notification shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(3):: मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-7-99-दस-3, दिनांक 08 अप्रैल, 2002 के अंतर्गत आयातित वनोपज के लिए निर्धारित शुल्क दरों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश में आयातित वनोपज के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार शुल्क विहित करता है:—